

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:-426/2018

- | | | |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| 1. अरुण कुमार पुत्र कुलदीप पुत्र मुखराम | } | जाति. जाट निवासी मिर्जावाली मैर
तहसील टिब्बी। |
| 2. महेन्द्र पुत्र मुखराम | | |
| 3. कुलदीप पुत्र मुखराम | | |
- वादीगण
- बनाम

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| 1. मुखराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी। | } | जाति जाट निवासी डबलीकलां
तहसील टिब्बी। |
| 2. नाराणी देवी पत्नी दौलतराम पुत्री मुखराम | | |
| 3. शारदा पत्नी दलीप कुमार पुत्री मुखराम. | | |
| 4. द्रौपती सिराव पत्नी सुल्तानराम पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील
रावतसर जिला हनुमानगढ। | | |
5. पुष्पादेवी पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी मिर्जावाली मैर तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।
- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज आराजी में से वादी सं० 1. अरुण कुमार को चक नं० 12 एजी के प०न० 204/370 मु० 11 किला नं० 7,8,9,10/2/. 228,11/2/.228,12 तथा वादी सं० 2 महेन्द्र को चक नं० 15 एजी के खाता सं० 74/72 में कुल 3.090 है० व चक नं० 12 एजी के प०न० 204/370 मु० 11 किला नं० 1/2/.228, 2, 3, व वादी सं० 3 कुलदीप को चक नं० 4 एमजैडडब्ल्यू के खाता सं० 86/74 में कुल 1.972 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 4. एमजैडडब्ल्यू के खाता सं० 86/74, चक नं० 15 एजी के खाता सं० 74/72, चक नं० 12 एजी के खाता सं० 51/48 में से प्रतिवादी सं० 1 मुखराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ९/१/१९.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ९/१/१९ को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी